न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 146/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2023/392

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1.भंवरलाल पुत्र मुकनाराम 2.रामलाल पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी डोली कलां तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर		1. हेमराज पुत्र जोगाराम 2. भानाराम पुत्र मुकनाराम 3. भागीरथ पुत्र मंगलाराम 4. पुरखाराम पुत्र मंगलाराम 5. सगराम पुत्र मंगलाराम 6. पाबुराम पुत्र मंगलाराम 7. बानाराम पुत्र मंगलाराम 8. श्रीराम पुत्र मंगलाराम 9. मांगीलाल पुत्र सुखराम 10. ओमाराम पुत्र सुखराम 11. सोहनराम पुत्र गोरखाराम 12. श्रीराम पुत्र गोरखाराम 13. मनफूल पुत्र देवाराम 14. रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी डोली कंला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर 15. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थितिः—

1. श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री भंवरलाल विश्नोई व श्री सुरेन्द्रसिंह अधिवक्ता,प्रतिवादी संख्या 01
3. प्रतिवादी संख्या 2 से 15 एकतरफा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

राजस्व वाद संख्या 146 / 2023
भंवरलाल बनाम हेमराज वगैरा

निर्णय

दिनांक 25/06/2025

1. संक्षिप्त में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि नैनाराम की पुश्तैनी भूमि ग्राम डोली कला तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 64,149 व 171 कुल रकबा 127.02 बीघा व ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 137, 151 व 254 कुल रकबा 67.17 बीघा भूमि अवस्थित थी। मुतलफी नैनाराम के चार पुत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता मुकनाराम, प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के पिता मंगलाराम व प्रतिवादी संख्या 09 व 10 के पिता सुखराम थे। इस प्रकार नैनाराम के चारो पुत्रो का वादग्रस्त भूमि में बहिस्सा बराबर हक हिस्सा था तथा कुल भूमि में प्रत्येक भाई को 48.10 बीघा हिस्सा आता है तथा इसीनुसार कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। ग्राम डोली कलां की खसरा संख्या 64, 149, 171 कुल रकबा 129.07 बीघा भूमि मंगला,सुखाराम व मुकनाराम को देनी तय की गई एवं ग्राम डोली खुर्द की खसरा की संख्या 137, 151 व 254 कुल रकबा 67.17 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम द्वारा अपनी आराजी खातेदारी में दर्ज करवा दी गई,जबकि वादी नैनाराम के चारो पुत्रों का बहिस्सा बराबर के हिसाब से वादीगण के पिता को 48.10 बीघा भूमि मिलती चाहिए थी,लेकिन वादीगण के वालिद को 32 बीघा भूमि दी गई,जबकि प्रतिवादी संख्या 01 को 16 बीघा भूमि अधिक प्राप्त हुए। इस प्रकार वादीगण खसरा संख्या 281 / 254 रकबा 15.04 बीघा,जिस पर वादीगण कब्जा–काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि वादीगण अपनी खातेदारी घोषित करवाने के हकदार हैं। अतः वादीगण द्वारा ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 254 रकबा 12.16 बीघा व खसरा संख्या 281 / 254 रकबा 15.04 बीघा कुल रकबा 27.09 बीघा भूमि मे से रकबा 16 बीघा भूमि खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु वाद–पत्र पेश किया गया हैं।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए,जो शामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी संख्या 10 व 14 की ओर से वादीगण के वाद–पत्र को स्वीकार करते हुए इकबालीया जवाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर जरिए अधिक्ता वादीगण के वाद–पत्र को अस्वीकार कर जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जिसका वादीगण अधिवक्ता ने खण्डन करते हुए जवाबुल–जवाब पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 09 व 11 से 13 बावजूद सम्यक तामीली होने के उपरांत उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 10 व 14 वक्त बहस उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही पारित की गई।

3. प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से जरिए अधिवक्ता वादीगण के वाद–पत्र तथ्यों को अस्वीकार करतें हुए जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वाद–पत्र मनगढन्त झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं,जो चलने योग्य नहीं हैं। क्योंकि ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 137,151 व 254 भूमि पूर्व में वक्त जागीरकाल श्री जुंझारकर्ण सिंह के नाम अंकित थी, व खसरा संख्या 254 में प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम की रहवासी ढाणी बनी थी। प्रतिवादी संख्या 01 अपने पिता नैनाराम से अलग निवास करता था,इस कारण वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 64,149 व 171 कुल रकबा 129.07 बीघा नैनाराम के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा विवादित आराजी खसरा संख्या 137,151 व 254 पर वक्त सेटलमेंट से ही प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा काश्त होने के कारण प्रतिवादी संख्या 01 के नाम खातेदारी दर्ज मे होनी चाहिए थी,लेकिन सेटलमेंट अधिकारियों की भूलवंश से नैनाराम के नाम दर्ज की गई। जिसका नैनाराम को पता चलने पर नैनाराम ने अपने जीवनकाल में जोगाराम के तीन भाईयों को कहा था,कि विवादित आराजी जोगाराम की भूमि हैं,इस कारण इनके नाम दर्ज करवा देना। नैनाराम के देहान्त होने पर नैनाराम के तीन भाईयों ने सहमति के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम के नाम दर्ज करवा गया। इस प्रकार विवादित आराजी पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक तक प्रतिवादी संख्या 01 के पिता बाद में प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा–काश्त चला आ रहा है,वादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64,149 व 171 कुल रकबा 129.07 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 का 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जावे तथा खसरा संख्या 254 व 281/254 ग्राम डोली खुर्द में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 से 14 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की जावें,कि प्रतिवादी संख्या 01 के कब्जे–काश्त के दखलदांजी नहीं करे।

4. वादीगण की ओर से जरिए अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से पेश काउन्टर क्लेम का खण्डन करते हुए जवाब–उल–जवाब जवाब पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमिया पुश्तैनी है,जो मुतवफी नैनाराम की खातेदारी खसरा संख्या 64, 149, 171 , 137,157 व 254 मे अवस्थित थी। जिसमे नैनाराम के चारो पुत्रो को बहिस्सा बराबर 48.10 बीघा भूमि आती थी,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम द्वारा होशियार करते हुए 65.02 बीघा भूमि दर्ज करवा दी गई,जो अपने हिस्से से 16

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बीघा भूमि अधिक है,जो भूमि वादीगण के पिता मुकनाराम के खातेदारी भूमि का भाग है। मंगलाराम व सुखराम के हिस्से में तो बराबर भूमि दर्ज की गयी,किन्तु जोगाराम वादीगण के पिता को कम 16 बीघा भूमि दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम को ग्राम डोली कंला से नही निकाला गया। वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 व 281/254 पर प्रतिवादी का कोई कब्जा काश्त नही है। इस कारण प्रतिवादी का काउन्टर क्लेम खारिज किया जाकर वादी के वाद–पत्र में वर्णित माफिक इस्तदुआ वाद डिक्री फरमाई जावें।

5. प्रकरण में उभय पक्षकारान द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए:–

<u>तनकी संख्या 1</u>–आया वादग्रस्त भूमि ग्राम डोली खुर्द के मूल खसरा संख्या 254 के बने नये खसरा संख्या 254 रकबा 12.16 बीघा व खसरा संख्या 281/254 रकबा 15.04 बीघा कुल रकबा 27.09 बीघा भूमि मे से 16 बीघा भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 2</u>–आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी के वांछित अनुतोष अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 3</u>–आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिपवाद प्राप्त करने का हकदार नही है?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या</u> 4– आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 व 281/254 पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम का कब्जा काश्त होने से एकल खातेदारी मे दर्ज हुई तथा वादी के वालिद मुकनाराम व मंगलाराम एवं सुखराम का कोई कब्जा काश्त नही होने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

<u>तनकी संख्या 5</u>– आया वादग्रस्त भूमि ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64,149 व 171 मे 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

<u>तनकी संख्या 06</u>–आया प्रतिवादी संख्या 01 माफिक काउन्टर क्लेम की वांछित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

<u>तनकी संख्या 7</u>– अन्य दादरसीः ?

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

6. वादीगण की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य में PW.01 भंवरलाल, PW.02 मालाराम, व PW.03 शेराराम के बयानात कलमबद्ध किए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01–ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 324 जमाबंदी,प्रदर्श 02–इसी ग्राम की जमाबंदी सवंत 2069–2072 तक की खसरा संख्या 322 की प्रति,प्रदर्श 03–इसी ग्राम की जमाबंदी खसरा संख्या 112, प्रदर्श 04–जमाबंदी खसरा संख्या 543/348, प्रदर्श 05–जमाबंदी खसरा संख्या 13, 323 व 344 कुल रकाब 44.19 बीघा भूमि,प्रदर्श 06–ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 137, 151, 254, 281/254 कुल रकबा 65.02 बीघा भूमि की जमाबंदी, प्रदर्श 07–ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 337, 544/348 जमाबंदी संवंत 2069–2072 तक, प्रदर्श 08–ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 254, 280/254 व 281/254 नक्शा ट्रेस प्रति व प्रदर्श 09–खतौनी बंदोबस्त खसरा संख्या 12 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

7. प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहान में DW-01 हेमराज के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1-जमाबंदी सवंत 2020–2023, प्रदर्श A2–जमाबंदी सवंत 2024–2027,प्रदर्श A3–जमाबंदी सवंत 2028–2031, प्रदर्श A4 जमाबंदी सवंत 2032–2035 तक,प्रदर्श A5–जमांबदी सवंत 2064–2067 एवं प्रदर्श A6–नामान्तकरण संख्या 13 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए।

8. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओ की बहस सुनी। वक्त बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण नें वाद के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 मुतवफी नैनाराम के वारिसान है,वादीगण नैनाराम के पौत्र हैं। नैनाराम के पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम डोली कलां की खसरा संख्या 64, 149 व 171 कुल रकबा 129.07 बीघा व ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 137, 151 व 254 कुल रकबा 67.17 भूमि अवस्थित थी। नैनाराम के चार पुत्र वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता सुकनाराम, प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम, प्रतिवादी संख्या 04 से 08 के पिता मंगलाराम एवं प्रतिवादी संख्या 09 व 10 के पिता सुखराम थे। इस प्रकार चारों भाईयों का वादग्रस्त भूमि में बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हिस्सा था। नैनाराम ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त भूमि का बंटवाड़ा कर अपने चार पुत्रो की भूमि बंट कर दी गई। उक्त बंट अनुसार वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता मंगलाराम को ग्राम डोली कंला की भूमि व ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 254 में 16 बीघा भूमि दी गई। लेकिन जोगाराम,जो नैनाराम का बड़ा पुत्र था,ने चालाकी से वादग्रस्त भूमि अपनी अकेले के नाम नामान्तकरण भरवा दिया और वादीगण के पिता को उसके हक हकूको से

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा,

महरूम रखा गया,जबकि खसरा संख्या 254 पर वादीगण के पिता वक्त सेटलमेंट से आदिनांक वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 की गलत प्रविष्टि करने के कारण वादीगण के कब्जा–काश्त में दखलदांन्जी की जा रही हैं। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि नैनाराम के चारो पुत्रो को बहिस्सा बराबर 48.10 बीघा भूमि आनी चाहिए थी,लेकिन वादीगण के पिता को 32 बीघा भूमि दी गई। 16 बीघा भूमि जो वादीगण के पिता का हक हिस्सा हैं, जो प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम द्वारा अपनी खातेदारी में अधिक दर्ज करवा दी गई। वर्तमान रेकर्ड अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 की कुल भूमि 65.10 बीघा है,जबकि इसमें 16 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा–काश्त निर्बाध रूप से चल आ रहा है और वादीगण अपनी खातेदारी मे घोषित करवाने का हकदार हैं। सुखराम व मंगलाराम के परिवार से वादीगण द्वारा कोई अनुतोष नहीं चाहा हैं,क्योंकि उनको बहिस्सा बराबर आनुपातिक रूप से भूमि मिली है। वादीगण के हक हिस्सा 16 भूमि अधिक प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम ने अपने खाते में दर्ज करवा दी थी,उक्त भूमि वादीगण प्राप्ति के अधिकारी हैं। सुखराम ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 112 रकबा 20.10 बीघा प्रतिवादी संख्या 14 रामचन्द्र को बेचान की थी तथा रामचन्द्र ने आगे उक्त भूमि वादी संख्या 01 को बेचान की गई थी। इस प्रकार उक्त खसरा वादी संख्या 01 का खरीद–शुदा हैं। इसी प्रकार सुखराम ने अपनी जीवनकाल में वादीगण के पिता मुकना को खसरा संख्या 324 रकबा 7.10 बीघा भूमि बेचान की,इस प्रकार उक्त भूमि भी खरीदशुदा हैं। प्रतिवादी संख्या 11 व 12 को खसरा संख्या 543/348 रकबा 7.14 बीघा बेचान की एवं प्रतिवादी संख्या 3, 6 व 7 ने अपने हिस्से में से प्रतिवादी संख्या 13 को भूमि बेचान की गई,इस प्रकार जो बंटवाडा किया गया। उसके अनुरूप नैनाराम के जायंदा पुत्र मंगलाराम व मुकनाराम के पुत्रान को बराबर जमीन दी गई,लेकिन मुकनाराम के नाम डोली खुर्द में 16 बीघा रिकार्ड में कम दर्ज की गई,जो भूमि वादीगण प्राप्ति के हकदार हैं। आगे बहस जारी रखते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम मनगढन्त गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया हैं,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कभी कब्जा–काश्त नहीं रहा हैं और न ही जोगाराम, नैनाराम से अलग निवास करता था, बल्कि नैनाराम के चार पुत्र एक साथ ही निवास करते थे। इस कारण वादगसत भूमियों नैनाराम के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी,लेकिन जोगाराम परिवार में बड़ा होने का गलत फायदा उठाते हुए नैनाराम के फोत होने पर वादग्रस्त भूमि अपनी आवगी खातेदारी में दर्ज करवा दी गई,जबकि खसरा संख्या 254 में 16 बीघा भूमि पर वक्त सेटलमेंट से आदिनांक वादीगण के पिता मुकना व बाद में वादीगण का कब्जा–काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिवादी संख्या 01 का खसरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

संख्या 64, 149 व 171 में कोई सरोकार नहीं हैं। वादीगण की ओर से साक्ष्य गवाही एवं दस्तावेजी साक्ष्य से भी साबित किया है कि वादीगण के पिता को 16 बीघा भूमि कम दी गई है, जो वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 से प्राप्ति के हकदार हैं अतःप्रतिवादी संख्या 01 का काउण्टर क्लेम खरिज किया जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे तथा वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा इस आंशय की जारी फरमाई जावे कि प्रतिवादी वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण के कब्जा व काश्त में किसी प्रकार के दखल हस्तक्षेप,व्यवधान,नुकसान या प्रवेश की चेष्टा या प्रयास न तो स्वंय करे एवं न अन्य किसी से भी करावें।

9. प्रतिवादी संख्या 01 के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण की ओर से वाद–पत्र मनगढन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है,जिसमें वादीगण को सफलता मिलने की रति भर भी गुजांईश नहीं है। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम, अपने पिता नैनाराम से अलग निवास करते थे। जोगाराम द्वारा ग्राम डोली खुर्द की खसरा संख्या 137, 151 व 254 भूमि पूर्व में वक्त जागीरकाल जागीरदार श्री जुंझारकर्ण सिंह के नाम अंकित थी,जो हासल पर लेकर काश्त करते थे तथा खसरा संख्या 254 में जोगाराम की रहवारी ढाणी बनी हुई थी और उसी में निवास करते थे। वक्त सेटलमेंट खसरा संख्या 64,149 व 171 पर नैनाराम का कब्जा–काश्त होने के कारण उनके नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा खसरा संख्या 137,251 व 254 प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम के नाम दर्ज होने चाहिए थी,लेकिन भूमि मुकनाराम ने राजस्व अधिकारियों से मिली–भगत करते हुए अपने पिता नैनाराम के नाम दर्ज करवा दी। जबकि वक्त सेटलमेट पूर्व से वादग्रस्त भूमि पर जोगाराम का ही कब्जा–काश्त था। बाद में पंचायती होने पर व नैनाराम को पता चलने पर नैनाराम ने अपने–अपने जीवनकाल के अंत में जोगाराम के तीन भाईयों को कहा था,कि वादग्रस्त भूमि पर जोगाराम का ही कब्जा–काश्त हैं,इस कारण जोगाराम के नाम दर्ज करना देना। नैनाराम के फौत होने पर मुकनाराम,मंगला व सुखराम ने अपनी सहमति के आधार पर वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण संख्या 13 वर्ष 1963 में पारित करवाया। नामान्तकरण पारित हुए लगभग 55 वर्षो के बाद वादीगण द्वारा कुंठित भावना से प्रेरित होकर वाद पेश किया है, जो खारिज योग्य हैं। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई सरोकार नहीं हैं। प्रतिवादी संख्या 01 के पिता ग्राम डोली कंला भूमि में हक हिस्सा होने के बावजूद भी नामान्तकरण अकेले तीन भाईयों ने अपने नाम करवा दिया गया,जबकि उक्त भूमि में भी प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा बनता है,जो प्रतिवादी पाने का हकदार हैं। अपनेन बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वर्तमान में वादग्रस्त भूमि में राष्ट्रीय राजमार्ग निकलने के कारण वादग्रस्त भूमि की कीमतो में बढोतरी होने के कारण लालच में आकर

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादग्रस्त भूमि को हड़पने की नियत से वाद पेश किया हैं,जो खारिज किया जावे। क्योंकि प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाही व दस्तावेज से साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। अतः वादीगण का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादी का प्रतिपवाद स्वीकार किया जाकर ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64,149 व 171 में 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 की खातेदारी घोषित की जावें तथा खसरा संख्या 254 व 281/254 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 से 14 किसी प्रकार की दखलदांजी नहीं करे,इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

10. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का गहनतापूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। प्रकरण के निस्तावरण हेतु न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत बहस कथनों/तथ्यों एवं प्रदर्शित दस्तावेजात को समाहित करते हुए प्रकरण का तनकीवार विवेचन किया जाना न्यायसंगत एवं प्रासंगिक हैं, जो निम्नानुसार हैं

11. <u>तनकी संख्या 01 व 3</u> –सुविधा की दृष्टि एवं तथ्यो दोहराव से बचने के लिए उक्त दोनो तनकीयात का विनिश्चिय एक साथ किया जा रहा है।

<u>तनकी संख्या 01</u>:–आया वादग्रस्त भूमि ग्राम डोली खुर्द के मूल खसरा संख्या 254 के बने नये खसरा संख्या 254 रकबा 12.16 बीघा व खसरा संख्या 281/254 रकबा 15.04 बीघा कुल रकबा 27.09 बीघा भूमि मे से 16 बीघा भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 खातेदारी घोषित करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

<u>तनकी संख्या 3</u>–आया वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 प्रतिपवाद प्राप्त करने का हकदार नही है ?

(जिम्मे–वादीगण)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। वादी पक्ष की ओर से अपने वाद पत्र को साबित करवाने के लिए 03 गवाह की साक्ष्य करवाई गई तथा बयानात के समर्थन में प्रदर्श–01 से प्रदर्श–09 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाए गए। वादी पक्ष गवाह PW.01 भंवरलाल ने बयानात् दिए कि मुतवफी नैनाराम के चार पुत्र जोगाराम, मंगला, मुकना व सुखराम थे। नैनाराम की पुश्तैनी खातेदारी भूमि ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64, 149 व 171 कुल रकबा 129.07 बीघा व खसरा संख्या 137, 151 व 254 कुल रकबा 67.17 बीघा भूमि ग्राम डोली खुर्द में अवस्थित थी। नैनाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही चारो पुत्रो को बहिस्सा बराबर 48.10 बीघा भूमि बंटे कर दे दी थी। जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 के पिता मुकनाराम को ग्राम डोली कंला में 32 बीघा भूमि के

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अलावा ग्राम डोली खुर्द का खसरा संख्या 254 में 16 बीघा भूमि दी गई हैं। जिस पर आदिनांक मुकनाराम के परिवार का कब्जा-काश्त चला आ रहा है,लेकिन नैनाराम का बड़ा पुत्र अर्थात मेरा बड़ा भाई जोगाराम ने तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत करते हुए नैनाराम के फोत होने पर डोली खुर्द की कुल रकबा भूमि 67.17 बीघा अपने अकेले नाम दर्ज करवा दी। इस प्रकार हम वादीगण को रकबा 32 बीघा भूमि ही प्राप्त हुई,जबकि भाई बंटवाड़ा में जोगाराम को 48.10 बीघा भूमि ही मिलनी चाहिए थी,जो अधिक रकबा 16 बीघा हम वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह PW.02 मालाराम ने बयानात् दिए की वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 सगे भाई हैं,जो नैनाराम के वारिसान हैं। चारों भाईयों को बंटवाडे में बहिस्सा बराबर 48.10 बीघा भूमि मिलनी चाहिए थी,लेकिन वादीगण के पिता मुकनाराम को 16 बीघा भूमि कम मिली है,लेकिन 16 बीघा भूमि पर मुकनाराम व बाद में वादीगण का ही कब्जा-काश्त हैं। इसी प्रकार PW.03 गवाह शेराराम ने भी 16 बीघा भूमि पर मुकनाराम व उसके बाद उनके वारिसान का कब्जा-काश्त होना बताया। प्रतिवादी संख्या 01 अधिवक्ता द्वारा वादी पक्ष के तीन गवाहान से लम्बी जिरह की गई,लेकिन गवाहान को उनके बयानात से विचलित नहीं कर पाए अर्थात गवाहो को बयानात् को झूठला नहीं पाए। वादी पक्ष अपने बयानात् पर कायम रहें। PW.01 भंवरलाल से जिरह में भी खसरा संख्या 254 पर वादीगण का कब्जा'-काश्त होना बताया हैं। वकील प्रतिवादी जिरह के दौराने यह कहीं साबित नहीं कर पाए कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी नहीं हों तथा PW.01 भंवरलाल से जिरह के दौराने यह कहना गलत है कि वादग्रस्त भूमि जोगाराम के हिस्से में आई हो,उस समय जोगाराम व अपने पिता नैनाराम से अलग निवास करते हो। यह तथ्य भी जिरह के दौराने सामने आए कि यह कहना गलत है कि नैनाराम फोत हुए उस समय प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम परिवार सहित अलग रहते हों। इस प्रकार साबित है कि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम नैनाराम के साथ ही एक ही परिवार में रहते थे। PW.01 भंवरलाल से जिरह के दौराने तथ्य भी सामने आया कि खसरा संख्या 254 में वादग्रस्त भूमि में जोगाराम का निवास हो,बल्कि मेरी (भंवरलाल) दुकान बनी हुई है। इस प्रकार प्रतिवादी अधिवक्ता PW.01 भंवरलाल को जिरह के दौराने उसके बयानात् को मुकरा नहीं सके हैं। PW.01 भंवरलाल ने साबित किया हैं कि वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 में उनका वादीगण का हक हिस्सा ही हैं। इसी प्रकार PW.02 व PW.03 गवाह ने भी जिरह के दौराने अपने बयानात् पर कायम रहते हुए वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 में 16 बीघा भूमि पर वादीगण का कब्जा-काश्त होना बताया है। न्यायालय हाजा का मानना है कि वादी पक्ष तीन गवाहान ने अपने बयानात् मय जिरह में भी वादीगण का वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 में 16 बीघा भूमि पर हक हिस्सा होना साबित किया है। चूंकि वादीगण द्वारा खसरा संख्या 281/254 रकबा 15.04 बीघा भूमि मे ही कब्जा होने का लिखित बहस में कथन

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

किया है,इस कारण न्यायालय हाजा उक्त खसरान मे ही अनुतोष प्रदान करना उचित समझता है,इसके अलावा प्रदर्शित दस्तावेज EX-09 खतौनी बंदोबस्त ग्राम डोली खुर्द का खसरा संख्या 137, 149 व 171 कुल रकबा 67.17 बीघा नैना वल्द मेहराम कौम विश्नोई के नाम दर्ज है,इससे साबित है कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है और पैतृक भूमि में नैनाराम के चारों पुत्रो जोगाराम, मंगला, मुकना व सुखराम का बहिस्सा बराबर 1/4, 1/4 हक हिस्सा मिलना चाहिए था। ग्राम डोली कंला कुल रकबा 129.07 बीघा व ग्राम डोली खुर्द रकबा 67.17 बीघा कुल भूमियों का रकबा 197.04 बीघा बनता हैं। नैनाराम के चार पुत्र थे,इस हिसाब से बहिस्सा बराबर लगभग रकबा 49.06 बीघा भूमि आनी चाहिए थी,लेकिन वादीगण व प्रतिवादी संख्या 02 को पिता मुकनाराम को 32 बीघा ही मिली हैं,जो कि बहिस्सा बराबर के हिसाब से 16 बीघा भूमि कम दी गई हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम को 67.17 बीघा भूमि मिली हैं, बल्कि भाई बंटवारे में बहिस्सा बराबर के हिसाब से 16 बीघा भूमि अधिक ली गई है,जो कि वादी पक्ष पाने का हकदार हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 10 व 14 ने वादीगण के वाद तथ्यो को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया है,इससे वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने मे बल मिलता है। वाद–पत्र व बयानात् से यह भी सामने आया कि मंगलाराम व सुखराम के परिवार को बंटवारे में बहिस्सा बराबर भूमि मिली हैं। इस कारण वादी पक्ष द्वारा उनसे अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। वादी पक्ष केवलमात्र प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम से ही अनुतोष चाहा हैं,जो वादी पक्ष प्राप्त करने का हकदार हैं। यह तथ्य भी निर्विर्वाद है कि नैनाराम के चार पुत्र जोगाराम, मुकना, मंगला व सुखराम नहीं हो,क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा इसका खण्डन नहीं किया गया हैं। इससे स्पष्ट है कि नैनाराम के चारो पुत्रो को बहिस्सा बराबर भूमि मिलनी चाहिए। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपना हक हिस्सा होना साबित करने में सफल रहा है। अतं उक्त तनकी वादीगण साबित करने में सफल रहने के कारण उनके पक्ष में निर्णीत की जाती है।

<u>तनकी संख्या 02</u>–आया वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रतिवादी के वांछित अनुतोष अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के हकदार है ?

(जिम्मे–वादीगण)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार वादीगण पर रखा गया है। चूंकि तनकी संख्या 01 का विस्तृत विवेचन के उपरांत साबित हो चुका है कि वादीगण प्रतिवादी संख्या 01 के साथ अपनी सह–खातेदारी घोषित करवाने में सफल रहा है। सह–खातेदार के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। वादी पक्ष की ओर से बयानात् में यह तथ्य सामने नहीं आया कि कब्जा–काश्त को लेकर विवाद हों। ऐसी स्थिति में वादीगण के पक्ष में

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना औचित्यहीन एवं अप्रांसगिक हैं। अतः उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 4</u>—आया वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 254 व 281/254 पर वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम का कब्जा काश्त होने से एकल खातेदारी मे दर्ज हुई तथा वादी के वालिद मुकनाराम व मंगलाराम एवं सुखराम का कोई कब्जा काश्त नही होने के कारण वादीगण का वाद खारिज योग्य हैं ?

(जिम्मे—प्रतिवादी संख्या 01)

इस विवाद्यक बिंदू को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा स्वंय के बयानात् कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श A1 से A6 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए गए। DW.01 हेमराज ने बयान दिए कि मेरे पिता जोगाराम को नैनाराम द्वारा घर से निकाल दिया था तथा वक्त जागीरकाल में जागीरदार श्री जूझांरकर्ण सिंह के नाम खसरा संख्या 137,151 व 254 अंकन थे। जोगाराम का खसरा संख्या 254 में ही रहवासी ढाणी बनी हुई थी तथा विवादित भूमि पर जोगाराम ही कब्जा—काश्त होने के कारण वक्त सेटलमेंट जोगाराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी,लेकिन मुकनाराम ने अपने पिता नैनाराम के नाम दर्ज करवा दी थी,बाद में पंचायती होन पर वापस नैनाराम के फोत होने पर मेरे पिता के तीन भाईयो ने आपसी रजामंदी व सहमति के आधार पर नामान्तकरण 13/1969 के द्वारा वादग्रसत भूमि मेरे पिता के नाम दर्ज करवा दी गए। वादग्रस्त भूमि पर वक्त सेटलमेंट पूर्व से आदिनांक जोगाराम व उसके बाद मेरा कब्जा—काश्त चला आ रहा हैं। उक्त गवाह से वादीगण अधिवक्ता द्वारा जिरह की गई। जिसमें DW.01 हेमराज ने स्वीकार किया है कि यह कहना सही है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 से 10 नैनाराम के वारिसान हैं। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि नैनाराम के फौत होने पर मेरे नाम नामान्तकरण भरा गया था। यह भी स्वीकार किया कि नैनाराम के चार पुत्र जोगाराम, मंगलाराम, मुकनाराम व सुखराम थे। यह कहना सही है कि वादग्रस्त भूमि का कोई बेचाननामा मंगलाराम, मुकनाराम या सुखराम या उनके वारिसान द्वारा मेरे नाम नहीं करवाया। यह कहना सही है कि प्रदर्श A6 में वादीगण के अंगुष्ठ निशान या हस्ताक्षर नहीं हैं। यह भी स्वीकार किया है कि मेरे नाम खातेदारी में 65 बीघा भूमि हैं, फिर कहा कि ज्यादा हैं। यह भी जिरह में स्वीकार किया है कि नैनाराम के खातेदारी की भूमियां सभी पुत्रो का बराबर मिलनी चाहिए, अजखुर्द कहा कि उन्होनें ही नामान्तकरण भराया था। इस प्रकार प्रतिवादी हेमराज से जिरह में भी साबित हो चुका हैंकि वादग्रस्त भूमि नैनाराम की खातेदारी की थी,न की जोगाराम की। जिरह में भी यह तथ्य भी साबित हो चुका है कि प्रतिवादी संख्या 01 के पिता को 16 बीघा भूमि अधिक मिली हैं। जिसका वादीगण प्राप्ति करने का

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

हकदार हैं। प्रतिवादी हेमराज अपने बयानात् से विचलित हुआ है अर्थात प्रतिवादी हेमराज के बयानात् का खण्डन करने में वादी पक्ष सफल रहा है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रतिवादी पक्ष द्वारा प्रदर्श करवाए गए दस्तावेजात का अवलोकन किया। पाया कि वादग्रस्त भूमि प्रदर्श 09 अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि नैनाराम के नाम वक्त सेटलमेंट दर्ज हुई थी। इस प्रकार स्पष्ट है कि भूमि पुश्तैनी हैं,जिसमें नैनाराम के चारो पुत्रो का बहिस्सा बराबर हक हिस्सा निहित हैं। नैनाराम के फोत होने पर नामान्तकरण संख्या 13/14.06.1965 के द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा संख्या 137,151 व 254 कुल रकबा 67.17 बीघा जोगा वल्द नैना के नाम दर्ज की गई। उक्त नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में टिप्पणी अंकित की गई कि नैना फोत हो चुका है,उसके लडके जोगा,मंगला, मुकना व सुखा ने रिपोर्ट पेश की यह जमीन हमारे बड़े भाई जोगा कि कब्जे में हैं,हमने अपनी खुशी से दी हैं,सो म्यूटेशन इनके नाम किया जावे,तो कोई आपति नहीं है,लेकिन प्रतिवादी पक्ष द्वारा विषयक नामान्तकरण के संबंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया,जिसमें उक्त नामान्तकरण की विश्वसनियता साबित हों। चूंकि नामान्तकरण एक फिस्किल प्रोसेडिंग हैं। नामान्तकरण प्रक्रिया से किसी के खातेदारी हक तय नहीं होते हैं और न ही खातेदारी हक हकूक समाप्त होते हैं। इस प्रकार प्रदर्श A6 के आधार पर वादीगण को उनके हक हकूक से वंचित नहीं रखा जा सकता है,क्योंकि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी हैं और नैनाराम की खातेदारी की थी,जिसमें चार पुत्र बहिस्सा बराबर हक हिस्सा प्राप्ति के हकदार है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादित खसरा संख्या 254 व 281/254 वक्त सेटलमेंट से प्रतिवादी संख्या 01 के पिता जोगाराम की खातेदारी का नहीं होकर नैनाराम की खातेदारी का रहा था। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 उक्त तनकी को साबित करने में असफल रहा हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी प्रतिवादी अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 05:–</u>आया वादग्रस्त भूमि ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64,149 व 171 मे 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 01)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा अपने जवाबदावे एवं बयानात् में ग्राम डोली कंला की खसरा संख्या 64.149 व 171 भूमि में 1/4 हिस्सा खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया,लेकिन प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य (यथा–राजस्व रिकॉर्ड, गिरदावरी नकल एवं अन्य सरकारी दस्तावेजात) पेश नहीं किया हैं,जिसमें साबित होता हो कि उक्त भूमि मे उनका हक हिस्सा हो। केवलमात्र मौखिक कथनों के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

नहीं किए जा सकते हैं। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो प्रस्तुत किए जाने आवश्यक होते है। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है,कि प्रतिवादी पक्ष साक्ष्य सबूतो के अभाव के कारण उक्त तनकी साबित करने में पूरी तरह असफल रहा है,ऐसी सूरत में उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 06</u>:-आया प्रतिवादी संख्या 01 माफिक काउन्टर क्लेम की वांछित अनुतोष स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार है ?

(जिम्मे-प्रतिवादी संख्या 01)

इस विवाद्यक बिंदु को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 01 पर रखा गया है। चूंकी प्रतिवादी संख्या 01 तनकी संख्या 05 को साबित कने में असफल रहा है तथा वादीगण वादग्रस्त भूमि में सह-खातेदारी घोषित करवाने में सफल रहे है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 माफिक काउण्टर क्लेम स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का हकदार नहीं हैं,क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 यह कहीं साबित नहीं कर पाया कि वादीगण, उनकी खातेदारी में दखलदांजी करते हो। केवलमात्र मौखिक कथनों के आधार पर राहत प्रदान नहीं की जा सकती हैं। उसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य होने आवश्यक होते हैं,जो प्रतिवादी पेश नहीं कर पाया हैं। उपरोक्त विवेचन के उपरांत उक्त तनकी प्रतिवादी अपने हक में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध निर्णीत की जाती हैं।

<u>तनकी संख्या 7</u>- अन्य दादरसी ?

उक्त तनकी पर विवेचन करने की आवश्यकता नहीं है,क्योंकि पक्षकार इस्तदुआ से अतिरिक्त परिलाभ प्राप्त करना साबित नहीं कर पाए है।

12.<u>अनुतोषः</u>-उपयुर्क्त विवचेन के आधार पर न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण वाद-पत्र में कायम तनकी संख्या 01 से 3 साबित करने में बखूखी सफल रहा है तथा प्रतिवादी पक्ष अपने पक्ष में कायम तनकीयात को साबित करने में सफल नहीं हो पाया है,इस कारण प्रतिवादी संख्या 01 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाना तथा वादीगण के वाद-पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद,वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

खसरा संख्या 281/254 रकबा 15.04 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 (हेमराज पुत्र जोगाराम) की प्रविष्टि विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल-दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे। डिक्री पर्चा जारी हों।

25/06/2025

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 25/06/25 को लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

25/06/2025

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

कार्यालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:– अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 146/2023
जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/392

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.भंवरलाल पुत्र मुकनाराम 2.रामलाल पुत्र मुकनाराम जाति विश्नोई निवासी डोली कलां तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर		1. हेमराज पुत्र जोगाराम 2. भानाराम पुत्र मुकनाराम 3. भागीरथ पुत्र मंगलाराम 4. पुरखाराम पुत्र मंगलाराम 5. सागराम पुत्र मंगलाराम 6. पाबुराम पुत्र मंगलाराम 7. बानाराम पुत्र मंगलाराम 8. श्रीराम पुत्र मंगलाराम 9. मांगीलाल पुत्र सुखराम 10. ओमाराम पुत्र सुखराम 11. सोहनराम पुत्र गोरखाराम 12. श्रीराम पुत्र गोरखाराम 13. मनफूल पुत्र देवाराम 14. रामचन्द्र पुत्र प्रहलादराम जाति विश्नोई निवासी डोली कंला तहसील पचपदरा वर्तमान तहसील कल्याणपुर 15. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार पचपदरा वर्तमान तहसीलदार कल्याणपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

मुकदमा नम्बर 146/2023

निर्णय दिनांक :–25.6.2025

वादीगण की ओर से श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से श्री भंवरलाल विश्नोई एवं श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 2 से 15 एकतरफा। इस वाद में आज तारीख 25.6.2025 को श्री अशोककुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 का काउण्टर क्लेम साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा ग्राम डोली खुर्द तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 281/254 रकबा 15.04 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 (हेमराज पुत्र जोगाराम) की प्रविष्टि विलोपित करते हुए उसके स्थान पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 02 की खातेदारी में घोषित की जाती है। तहसीलदार कल्याणपुर को आदेशित किया जाता है कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड मे अमल–दरामद किया जाना सुनिश्चित करावे।

यह आज तारीख 25.6.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादी	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ———
जोड़	—	जोड़	———

25/06/2025
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा